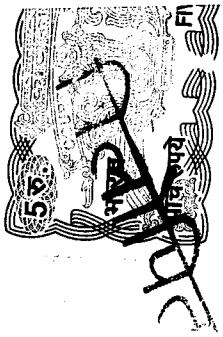

विनय कुमार उर्फ गौरव विदुआ , S/O स्व. श्री विकास विदुआ
निबासी नाहर कॉलोनी बरेली , R- 3294/PBR/2018
तहसील बरेली जिला रायसेन म0 प्र0 ....आवेदकग

वनाम

1— धीरेन्द्र कुमार तनय स्व0 श्री छन्नूलाल बिदुआ,
निबासी बड़ा बाजार बरेली , तहसील बरेली जिला रायसेन
2— दुष्यंत कुमार उर्फ सौरभ बिदुआ , S/O स्व. श्री विकास विदुआ,
निबासी नाहर कॉलोनी बरेली ,
तहसील बरेली जिला रायसेन म0 प्र0 .... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 9/10/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

9/10/15

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार बरेली जिला रायसेन द्वारा प्र0 क0 01/अ—3/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 17/02/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है। जिसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आवेदक के मौजा बरेली स्थित भूमि खसरा नंबर 290/2/2/2 रकवा 5.960 है0 में आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अबसर प्रदान किये बगैर उसकी जानकारी के बिना बटांक डाल दिये हैं। आवेदक का रकवा उपरोक्त बटांक में नक्शा में एक एकड़ कम कर दिया है, तथा उसके कब्जा की भूमि के स्थान पर उसका बटांक नहीं डाला है। तथा एक एकड़ रकवा रिस्पॉ0 क0 02 के खसरा नं0 290/2/2/1 में कम करके रिस्पॉ0 क0 एक के रकवा में जोड़ दिया गया है, इस प्रकार रिस्पॉ0 क0 एक के नक्शा में खसरा में दर्ज

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक R-3294-PBR/2015 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही विवरण	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर

3-10-15

तहसीलदार बरेली जिला रायसेन व्दारा प्रकरण कमांक 01/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–2–14 के विरूद्व यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी की ग्राह्यता पर एंव निगरानी मेमो के तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ निगरानी मेमो के अंकन अनुसार आवेदक एंव अनावेदक क–2 भाई –भाई हैं तथा अनावेदक क–1 परिजन है जिनका सामिलाती कृषि भूमि खाता मौजा बरेली तहसील बरेली में है। मौजा बरेली स्थित आराजी कमांक 290/2/2/2 रकबा 5.960 हैक्टर का तहसीलदार बरेली ने आदेश दिनांक 17–2–14 से बटांकन किया है जिस पर आवेदक की आपत्ति है कि बटांक करने के पूर्व न तो आवेदक को सूचना दी गई है और न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया है संपूर्ण कार्यवाही एकपक्षीय की गई है। बटांकन करते समय नक्शे में उसके स्वामित्व व हिस्से के रकबा एक एकड़ को कम कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि मौके पर जिस पर भूमि पर आवेदक का कब्जा है उस पर नक्शे में बटांकन भी नहीं डाला गया है तथा उसके स्वामित्व के एक एकड़ रकबा को कम करके अनावेदक क–1 के रकबे में जोड़ दिया गया है जिसके कारण मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है उन्होंने निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार बरेली जिला रायसेन व्दारा प्रकरण कमांक 01/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–2–14 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन के अवलोकन पर एंव तहसीलदार बरेली के आदेश दिनांक 17–2–14 के

अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने आदेश में अंकित किया है कि नक्शा बटान पर सहमति व्यक्त की गई है सहमति के हस्ताक्षर भी नक्शा बटान पर हैं। जिस नक्शे पर तहसीलदार पक्षकारान की सहमति के हस्ताक्षर बताते हैं नक्शा बटान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नक्शे पर धीरेन्द्र मात्र के हस्ताक्षर पठनीय है अन्य हस्ताक्षरकर्ता कौन हैं पहचाने जाने योग्य नहीं है क्योंकि किसी भी हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरों के नीचे नाम अंकित नहीं कराये गये हैं जिसके कारण आवेदक का यह कहना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि नक्शे पर उसके हस्ताक्षर न होकर एकपक्षीय कार्यवाही है और इन्हीं कारणों से अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

5/ जहां तक तहसीलदार के आदेश दिनांक 17–2–14 से की गई बटांकन की कार्यवाही का प्रश्न है ? जब सभी पक्षकारों को मौके पर नहीं बुलाया गया और उनसे सहमति प्राप्त नहीं की गई, तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही एंव अपनाई गई प्रकिया दूषित होना पाई गई है, जिसके कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–2–14 दूषित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बरेली व्दारा प्रकरण कमांक 01/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–2–14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आदैश दिये जाते हैं कि जब तक उभय पक्ष के समक्ष सहमति के आधार पर बटांकन कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है – कानून व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर यथास्थिति कायम रखी जावे। तहसीलदार बरेली इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिन से 30 दिवस के भीतर बटांकन हेतु पुर्नकार्यवाही करें।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर